① II/निग0/रीवा/2018/01407

न्यायालय श्रीमानसदस्य महोदय राजस्वमण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

1– रामायण प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 श्री मिथिला प्राद द्विवेदी उम्र 55 र्वा पेशा खेती निवासी ग्राम चौरा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

2– रामलोटन द्विवेदी तनय स्व0 श्री मिथिला प्रसाद द्विवेदी उम्र 52 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चौरा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

3– राजेश प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 विद्यया प्रसाद द्विवेदी उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चौरा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 – निगरानीकर्ता

बनाम

1– रामचरित प्रसाद द्विवेदी तनय श्री सुदर्सन प्रसाद द्विवेदी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौरा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0

------ गैरनिगरानी कर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तह0 सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–17 प्र0क0 12ए/12/2017–18 ,

---

निगरानी अन्तर्गतम धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है –

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2018 / 1407

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर के प्रकरण कमांक 12 अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 8–12–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम चौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 24 / 1 ग एंव 37 / 3 के सीमांकन की मांग की गई है। मौके पर किये गये सीमांकन पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की है । राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ताओं को एंव भूमिस्वामी को सुनकर आदेश दिनांक 8–12–17 पारित करते हुये आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि सीमांकित भूमि सर्वे कमांक 24 / 1 ग एंव 37 / 3 का अनावेदक भूमिस्वामी है जिसका सीमांकन कराने हेतु वह स्वतंत्र है। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित कर दी गई है इसलिये गलत किये गये सीमांकन को निरस्त किया जाय। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकगण स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानते है, तब वह स्वयं् की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से ई0टी0एस0एम0 के माध्यम	

से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक के स्वामित्व की भूमि के किये गये सीमांकन अनुसार राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर व्दारा प्रकरण कमांक 12 अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 8–12–2017 में हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य